# न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सिवान

## जमानत आवेदन सं0 316/2026

**असॉव थाना कांड सं0–116/2025 से उत्पन्न**

**अंतर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),109,103(1),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम**

**(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)**

**सोनु मांझी ..... आवेदक/अभियुक्त**

**बनाम**

**बिहार राज्य,. द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी**

---

**उपस्थित– श्री रविन्द्र कुमार दिवेद्वी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से**
**श्री अक्षय लाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से**

---

*आ–दे–श*

**24.03.2026**

काराधीन आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, असॉव थाना कांड संख्या 116/2025, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(1),109,103(1),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दाखिल किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी साहनी दिनांक 29.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

सूचिका धानुमति देवी द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 24.09.2025 को समय करीब 06:30 बजे संध्या में सूचिका का लड़का राहुल साहनी अपने चाचा के लड़कों रविकिशन साहनी और राकेश साहनी के साथ शौच के लिए सिंहपुर बांध पर गए थे। उसी दौरान गावं के सोनु मांझी, रंजीत यादव, विशाल साहनी, अनु कुमार, रवि कुमार साहनी, इन्द्रजीत साहनी उर्फ चनेश्वर साहनी, कुश कुमार मांझी एवं अनिश कुमार साहनी ये सभी लोग बांध पर पार्टी मना रहे थे। जहां सूचिका के लड़के ने उनसे कहा कि आज दिन में तुम लोग बहुत तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे, अगर किसी का एक्सिडेंट हो जाता तो कितना नुकसान हो जाता। इसी पर सभी आरोपी सूचिका के लड़के एवं भाईयों के साथ नोक–झोक करने लगे, और इसी बीच सोनु मांझी को रंजीत यादव ने बंदुक दिया और बोला, इसको गोली मार दो, फिर सोनु मांझी ने सूचिका के लड़के के कनपट्टी पर गोली मार दिया और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचिका के देवर का लड़का रविकिशन और राकेश साहनी द्वारा उनके घायल लड़के को अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे सिवान रेफर कर दिया गया। तत्पश्चात् सिवान से भी गोरखपुर रेफर कर दिया गया। अभी सूचिका के लड़के का गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचिका द्वारा आरोप लगाया गया हैं कि इस घटना में उपरोक्त सभी आरोपी शामिल है। तदनुसार सूचिका के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त मामलें में स्वर्गीय संजय साहनी की पत्नी मोस्मात धनमती देवी के लिखित बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को आरोपी बनाया गया हैं। दिनांक 29.10.2025 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीया के द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर देने के बाद आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त का अतीत बेदाग हैं। इस मामले के अलावा आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं हैं, केवल दो अवकारी मामलों में विशेष न्यायाधीश, अवकारी न्यायालय संख्या– 1, सिवान के समक्ष लंबित हैं। प्राथमिकी के अनुसार सूचिका मोस्मात धानुमति देवी के पुत्र राहुल साहनी और उसके चाचा के लड़के रविकिशन साहनी और राकेश साहनी के साथ शौच के लिए सिंहपुर गए थे, उसी दौरान सोनु मांझी, रंजीत यादव, विशाल साहनी, अनु कुमार साहनी, रवि कुमार साहनी, इन्द्रजीत साहनी उर्फ चनेश्वर साहनी, कुश कुमार मांझी एवं अनिश कुमार साहनी ये सभी लोग बांध पर पार्टी मना रहे थे, वहां सूचिका के पुत्र ने कहा कि आज दिन में तुम लोग बहुत तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे, अगर किसी का एक्सिडेंट हो जाता तो कितना नुकसान हो जाता। इसी पर आरोपी सूचिका के लड़के एवं भाईयों को गाली देने लगें । इसी बीच रंजीत यादव ने आवेदक/अभियुक्त सोनी मांझी को को बंदुक दी, जिसने सूचिका के पुत्र की कनपट्टी पर गोली मार और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचिका के देवर का लड़का रविकिशन और राकेश साहनी ने लड़के को अस्पताल में ले गये, जहां से सिवान रेफर कर दिया गया, एवं डाक्टर ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया । सूचिका के लड़के का गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना में उपरोक्त सभी आरोपी शामिल है। बाद में सूचिका के बेटे का इलाज के दौरान मौत हो गई हैं। धारा 103(1) बी.एन.एस

को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय हैं । आवेदक/अभियुक्त ट्रक चालक का सहायक है और वह 23.09.2025 से 25.09. 2025 तक अपने ट्रक चालक के साथ सोनपुर में रेत की लोडिंग का काम में लगा हुआ था। सूचिका का पुत्र एक सफाईकर्मी हैं और वह सभी पट्टेदारों से ईष्या करता था। इसी कारण यह घटना घटी। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति हैं और इस मामले में शामिल नहीं हैं। सूचिका और उसके परिवार के सदस्यों तथा आवेदक/अभियुक्त के बीच पुराना विवाद और शत्रुता चल रही हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की भागने या अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है, और वह इस विद्वान न्यायालय के संतोष के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, असॉव थाना कांड संख्या 116/2025, अंतर्गत धारा 126(2),115(2), 118(1),109,103(1),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया हैं। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी पर यह विशिष्ट आरोप है कि उसने सह–अभियुक्त रंजीत यादव के उकसावे पर पिस्तौल से राहुल साहनी की कनपट्टी पर सीधे गोली चलाई थी, तथा गोली लगने के कारण जख्मी राहुल साहनी का इलाज के दौरान मृत्यु हो गईं। मूल अभिलेख के साथ संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक राहुल साहनी की मृत्यु सिर में गोली लगने, तत्पश्चात कोमा में चले जाने के कारण हुई थी। काराधीन आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है एवं गोली चलाने का भी मुख्य आरोप आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी पर हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी दिनांक 29.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं आरोप की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए काराधीन आवेदक/अभियुक्त सोनु मांझी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार काराधीन आवेदक/अभियुक्त **सोनु मांझी** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
**(मोनिषा सिंह)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सिवान।